

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 306/2018

RCMS No-2018/00472

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		महेन्द्रसिंह पुत्र रीढमल राजपूत, मैसर्स जय शक्तेश रेस्टोरेन्ट, बस स्टेण्ड, चण्डावल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 उपस्थित :-

1. श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी अनुपस्थित




—: निर्णय :-

दिनांक 23/12/19

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने नियत तारीख पेशी को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया। दौराने बहस अप्रार्थी अनुपस्थित रहा। इस कारण बहस एकपक्षीय सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के पद पर पदस्थापित है। दिनांक 27.05.2018 को प्रार्थी ने दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म से वनस्पति घी में बने हुए लड्डू को वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा दो किलोग्राम वनस्पति घी में बने हुए लड्डू को चार भागों में विभक्त कर चार शिशियों में भरकर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर-779 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना वनस्पति घी में बने हुए लड्डू को sub-standard का माना गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा sub-standard वनस्पति घी में बने हुए लड्डू का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.05.2018 को अप्रार्थी की फर्म से वनस्पति घी में बने हुए लड्डू को क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर-779 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./400/एक्ट/2018/413 दिनांक 01.06.2018 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर-779 को Sub-standard


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

as the extracted fat does not conform to the standard of Vanaspati का माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Sub-standard वनस्पति घी में बने हुए लड्डू का विनिर्माण एवं विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 1,00,000/- अक्षरे एक लाख रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही प्रार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 23/12/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली